हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

की

नवम् बोर्ड बैठक

दिनांक : 17.2.2003

का

कार्यवृत्त

स्थान :

कैम्प कार्यालय, आयुक्त मेरठ मंण्डल,

मेरठ ।

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की नवम् बोर्ड बैठक

दिनांक 17.2.2003 का कार्यवृत्त

दिनांक 17.2.2003 को आयुक्त मेरट मण्डल एवं अध्यक्ष हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में, आयुक्त महोदय के कैम्प कार्यालय मेरठ में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया ।

1.	श्री एन0एस0 रवि	मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री मुक्तेश मोहन मिश्र	उपाध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़	उपाध्यक्ष
3.	श्री इन्द्रवीर सिंह यादव	अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) गाजियाबाद (जिलाधिकारी, गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
4.	श्री एस.के. जमान	चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर एन.सी.आर. गाजियाबाद (आयुक्त एन.सी.आर. के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ (राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
6.	इं0 आर0एल0 गोयल	अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, मेरठ (प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य

विशेष आमंत्रित एवं अन्य उपस्थिति :

1.	श्री श्याम सिंह यादव	सचिव, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़
2.	श्री वेद मित्तल	मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
3.	इं. राधेश्याम शर्मा	अधिशासी अभियंता, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़
4.	श्री यशपाल सिंह	नगर नियोजक, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़
5.	श्री संतोष कुमार कौशिक	सहायक लेखाधिकारी, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

बैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार है :-

मद संख्या	विषय	निर्णय
1.	प्राधिकरण की अष्टम बोर्ड बैठक दिनांक 12.8.2002 की कार्यवाही की पुष्टि	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अष्टम बोर्ड बैठक दिनांक 12.8.2002 के कार्यवृत्त की प्रतियाँ सभी सदस्यों को प्रेषित की गयी थी । बैठक का कार्यवृत पुनः उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया । कार्यवृत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । अतः प्राधिकरण की अष्टम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।
2.	प्राधिकरण की अष्टम बोर्ड बैठक दिनांक 12.8.2002 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या अवलोकित व अनुमोदित की गयी ।
3.	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की प्रीत विहार आवासीय योजना फेज-1 के अंतर्गत भूखण्डों के आवंटन हेतु सेक्टर दर के निर्धारण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
4.	बस अड्डा योजना को प्रीत विहार योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा साथ ही शासन के निर्देशानुसार बस अड्डे को आनन्द विहार योजना में उचित स्थान पर रिलोकेट कर अग्रिम कार्यवाही की जाये ।
5.	मै0 सैन्चुरी लैमिनेटिंग कम्पनी लि0 को 20 एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	मै0 सैन्चुरी लेमिनेटिंग कं0 के प्रतिनिधि श्री एन. सिंह को भी उनका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रार्थित कम्पनी को 20 एकड़ भूमि प्राधिकरण द्वारा प्रीत विहार योजना में अर्जित की गयी भूमि में से दे दी जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि कम्पनी को सीधे काश्तकारों से भूमि क्रय करने की अनुमति न दी जाये ।

6.	मै0 सैन्चुरी लैमिनेटिंग कं0 लि0 हापुड़ को प्राधिकरण की प्रीति विहार आवासीय योजना में आवंटित की जाने वाली भूमि की दर के सम्बन्ध में	मै0 सैन्चुरी लेमिनेटिंग कम्पनी को दी जाने वाली भूमि की दर को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई, जिसके अनुसार आवासीय दर से आन्तरिक विकास कार्यों की लागत घटाकर आने वाली दर पर आवंटित की जाये । इकाई को भूमि का आवासीय से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन कराना होगा ।
7.	प्रीति विहार आवासीय योजना के लिये पूर्व में डिमान्ड सर्वे के समय पंजीकृत आवेदकों के लिये भूखण्ड आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में	प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदित किया जाता है:– (अ) प्रस्तावित योजना हेतु समस्त जनता से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें । (ब) पूर्व में पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त धनराशि को समायोजित किया जाये । (स) डिमान्ड सर्वे के आवेदकों को 20 प्रतिशत वरीयता प्रदान किया जाये । (द) शासनादेश के अनुसार निश्चित 65 प्रतिशत आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में पंजीकृत आवेदकों हेतु आरक्षित भूखण्डों में भी समान रूप से विभिन्न वर्गों में 65 प्रतिशत आरक्षण किया जाये । (य) डिमाण्ड सर्वे के आवेदकों हेतु आरक्षित भूखण्डों से कम आवेदन प्राप्त होने पर बचे हुए भूखण्डों को अन्य सामान्य लाटरी में शासकीय आरक्षण सहित समायोजित किया जाये । (र) प्रीति विहार योजना के पंजीकरण की तिथि समाप्त होने के पश्चात् जो लोग आवेदन नहीं करते हैं और वह 100/– की धनराशि वापिस लेना चाहते हैं तो आवेदन करने पर उक्त धनराशि पर पंजीकरण दिनांक तक बैंक में साधारण ब्याज सहित धनराशि प्राप्त कर दी जाये । लाटरी में डिमांड सर्वे के असफल आवेदकों को सामान्य लाटरी में शासनादेश अनुसार सबंधित वरीयता श्रेणी में भी सम्मिलित किया जाये ।

8.	प्राधिकरण की तीन योजनाओं आनन्द विहार, बस अड्डा एवं ट्रांसपोर्ट नगर की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
9.	प्राधिकरण की पॉचों योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अवलोकित किया गया भू-अर्जन हेतु 10 प्रतिशत अग्रिम धनराशि मॉगे जाने के सम्बन्ध में शासन के अद्यतन आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा फल सब्जी मण्डी योजना का अर्जन अधिनियम के अनुसार शीघ्र करते हुये एवार्ड घोषित कर दिया जाये ।
10..	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	कोई नहीं ।

अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी ।

(मुक्तेश मोहन मिश्र)
उपाध्यक्ष
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(एन.एस. रवि)
मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल/
अध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण